न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या
मैनुअल नं. 85/प्रा.पत्र/2024
(GCMS No. 2024/137)

तारीख दायरा
18.09.2024

तारीख निर्णय
25.03.2025

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

प्यारा पुत्र छोगा जाति कराड़,
निवासी ग्राम पराना, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी प्यारा आ. छोगा को किये गये भूमि आवंटन खसरा सं. 450/144 रकबा 0.0162 हैक्टेयर वाकेग्राम पराना आवंटन आदेश दिनांक 26.10.1977 को निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 85/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024/177 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं तथा जर्ये अभिभाषक श्री अनिल शर्मा उपस्थित न्यायालय आकर दिनांक 27.11.24 को जवाब पेश किया जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया, किन्तु दिनांक 03.03.2025 को बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय बहस सुनी गई।

जिला कलेक्टर, बून्दी

तत्पश्चात बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये गये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2080 के अनुसार उक्त भूमि पर ''पड़त'' पडी हुई है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि प्यारा पुत्र छोगा जाति कराड निवासी ग्राम पराना को दिनांक 26.10.1977 को भूमि खसरा संख्या 144 रकबा 15 बीघा वाकेग्राम पराना का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रकरण अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 14(4) पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पराना की नकल जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार भूमि खसरा सं. 450/144 रकबा 0.0162 हैक्टेयर पर अप्रार्थी प्यारा पुत्र छोगा जाति कराड़ गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थना पत्र के संलग्न हल्का पटवारी, भू.अभिलेख निरीक्षक एव नायब तहसीलदार डाबी की संयुक्त रिपोर्ट अनुसार आवंटी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी प्यारा द्वारा अपने जवाब दिनांक 27.11.24 में निवेदन किया है कि यह प्रार्थना पत्र 46 वर्ष बाद पेश किया गया है, जो निरस्त किया जावें, आवंटित भूमि पर आवंटी एवं उसके परिवारजन का आवंटन से अब तक निरन्तर कब्जा काश्त होना बताया है किन्तु अपने कथन के समर्थन में अप्रार्थी की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। जबकि नकल खसरा गिरदावरी रबी (उन्हालू) वर्ष 2024 संवत् 2080 के अनुसार उक्त भूमि पर कोई फसल नहीं बोई जाकर ''पड़त'' पडी हुई है। इससे आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होना प्रमाणित है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। जबकि इस प्रकरण में आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है। ऐसे में उक्त आवंटन खारिज किये जाने योग्य है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

उपरोक्त विवेचन के आधार एवं विधिक प्रावधानों की अनुपालना में उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी प्यारा पुत्र छोगा जाति कराड़ निवासी ग्राम पराना को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 450/144 रकबा 0.0162 हैक्टेयर वाकेग्राम पराना दिनांक 26.10.1977 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे, तो उनके विरूद्ध अतिक्रमी की हैसियत से बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 25.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी